*ISBN: 978-81-974088-0-9*

# 1. वर्तमान मे दिव्यांगों की समस्याएं

**डॉ. धरणी राय**

विभागाध्यक्ष (शिक्षा संकाय)
सेठफूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय,
नवापारा-राजिम, रायपुर, छत्तीसगढ़.

भारत जैसे विकासशील देश में दिव्यांगता एक बहुत ही गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिव्यांगता या विकलांगता के प्रति संवेदनाओ को बढ़ाने के लिए **3 दिसंबर** को **'विश्व दिव्यांग दिवस'** के रूप में घोषित किया गया है। ताकि जीवन के हर पहलू में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक तथा आर्थिक जैसे क्षेत्रों में दिव्यांग लोगों के हित और अधिकारों को सरल करने की परिकल्पना करता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने वर्ष 1976 में वर्ष 1981 को विश्व विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। जिसका मकसद यह था कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को सामान्य धारा से जोड़ना तथा सरकारी योजनाओं का निर्माण करना था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1992 से इसकी शुरुआत हुई। वर्ष 2007 तक इस दिन को **'इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन'** कहां जाता था। अंग्रेजी में विकलांग या दिव्यांग के लिए अलग-अलग बहुत सारे शब्द हैं जैसे हैंडीकैप, डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटी आदि तमाम शब्दों का उपयोग निरंतर किया जाता रहा है, यह सारे शब्द भी व्यक्ति में नकारात्मक भाव को उजागर करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक एजेंडा तैयार किया, जिसमें **वर्ष 2030** तक यह कोशिश रहेगी कि इस दौड़ती-भागती दुनिया की रफ्तार में कोई भी दिव्यांग पीछे ना रह जाए।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार विश्व की 10% जनसंख्या किसी न किसी तरह से विकलांगता से ग्रसित है। एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण 2019-21 से आईसीटी पत्रिका के अनुसार विकलांग लोगों की कुल आबादी जनसंख्या 4.52 प्रतिशत याने कि 63.28 मिलियन है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग लोगों की संख्या 21 करोड़ बताई गई थी। जो 2011 की जनगणना के अनुसार 22.4%, 26.8 मिलियन हो गया। बच्चों की कुल जनसंख्या का 1.7% भाग भारत में दिव्यांग बच्चों का है।

पहली बार 2011 में भारत  में मानसिक विकलांगता की पुष्टि की गई, इस श्रेणी में 5.6% विकलांग भारतीय आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2002 से 2004 के विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया कि भारत पर 25% से अधिक लोग किसी न किसी तरह से विकलांगता से पीड़ित है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट 2009 के अनुसार भारत की 5 से 8% जनसंख्या विकलांगता की मार से पीड़ित हैं। विकलांगता किसी भी ऐसी परिस्थिति का तजुर्बा है जो किसी व्यक्ति के लिए दिए गए गतिविधियों को करना, या समाज द्वारा दिए गए किसी समान पहुंच प्राप्त करना अधिक जटिल बना देती है। विकलांगता संज्ञानात्मक, विकासात्मक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी या कई कारकों का संयोजन हो सकता है। जिन्हें हम विकलांग बालक या दिव्यांग बालक कहते हैं।

युगो से चली आई परंपरा के अनुसार भारत में विकलांग लोगों को भगवान को प्रसन्न करने के सोत्र के रूप में देखा जाता है। क्योंकि लोगों का यह मानना है, कि किसी दिव्यांग की मदद करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और ईश्वर कमजोर लोगों की मदद करता है, लोगों की यह  धारणा बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि विकलांग भी एक मानव है और प्रत्येक देश की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी आम जनता विकलांगता के प्रति जागरूक होनी चाहिए, क्योंकि विकलांगता कभी भी, कहीं भी, किसी भी आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। विकलांगता व्यक्ति के जीवन को मानव श्रेणी में ना ही ऊपर उठती है और ना ही नीचे गिरती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ मानव समझना आवश्यक है।

विकलांगता शब्दों में नकारात्मक सोच और विचार प्रदर्शित होते थे, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2015 को रेडियो प्रसारित 'मन की आवाज' में इन विकलांग जनों को **दिव्यांग** शब्द से अभिभूत किया। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपंग हो, उसे विकलांग या अपाहिज पुकारने की जगह सम्मान के साथ दिव्यांग कहा जाना चाहिए यह अनुरोध प्रधानमंत्री जी ने किया था। क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति को भी अपने जीवन में इन दिव्य अंगों के द्वारा समाज में सामान्य रूप से जीते हुए आगे बढ़ने का पूर्ण अधिकार हैं। समाज में जीने के लिए आत्मविश्वास और सम्मान की अति आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन

में होती है, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग जनों को दिव्यांग शब्द देकर समाज मे सम्मान दिया है। दुनिया भर में **'अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस'** दिव्यांग लोगों की क्षमताओं का जश्न मनाने का दिन है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिव्यांगता के मुद्दे के प्रति जागरूक करना और समझ बढ़ाना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में इन्हें हेय दृष्टि से ना देखते हुए, अपने समतुल्य समझ कर जीवन में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। अपने देश भारत में वर्ष 1995 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए (समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और अधिकार संरक्षण) अधिनियम लागू किया। तथा दिव्यांग या विकलांग लोगों के अधिकार अधिनियम 2016 ने पहले के कानून को बदलकर, दिव्यांग लोगों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 संख्या कर दी गई।

**बीज शब्द-** दिव्यांग**,** विकलांग, श्रेणी, समस्याएं, परिभाषा, अक्षमता।

**दिव्यांग या विकलांग का अर्थ-**

अक्षमता के कारण किसी व्यक्ति की शिक्षा या काम प्रभावित होती है, तो दिव्यांगता कहलाती है।

**दिव्यांगजन का अर्थ** - विकलांग व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। **दिव्यांग शब्द** के इस्तमाल से पहले नियमित तौर पर **विकलांग शब्द** का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ 'किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग काम ना कर पाना।'

**दिव्यांग से तात्पर्य**- दिव्य अंग याने भगवान का अंश- जो अपने शरीर से दिव्यांग होते हैं, वह विचारों से दिव्यांग नहीं होते हैं, और जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं वह शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होते, क्योंकि कोशिश करने से वह अपने जीवन के हर मुश्किल और असंभव कार्य को संभव कर लेते हैं।

किसी भी व्यक्ति के 40% से अधिक उसके शारीरिक असमर्थता, जिसमें व्यक्ति के हाथ और पैर भी शामिल है, का सुचारू रूप से कार्य न कर पाना दिव्यांग या विकलांग कहलाते हैं।

प्रत्येक ऐसा बालक चाहे वह शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, अधिगम निर्याेग्य बालक हो या पिछड़े बालक हो आदि ऐसा कोई भी बालक जिसे अपने वातावरण में समायोजन करने में दिक्कत आती है, वह दिव्यांग बालक की श्रेणी में आता है।

किसी भी मानसिक एवं शारीरिक विकार के कारण एक सामान्य मानव की तरह कोई भी, किसी भी तरह का कार्य करने में परेशानियों का सामना या ना कर पाने की अक्षमता को दिव्यांग के रूप में परिभाषित किया गया है।

**परिभाषा** -

**विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** 1976 के अनुसार- "दिव्यांगता व्यक्ति की क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधा जनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। ऐसे में व्यक्ति के आस-पास अनुकूलित अंतः क्रिया जाने में कठिनाई होती है।"

**मेरियम वेबस्टर** के अनुसार "विकलांगता एक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या विकासात्मक स्थित है जो किसी व्यक्ति किसी सामान्य दैनिक जीवन से जुड़े कार्य, बातचीत या गतिविधियों को करने या उसमें शामिल होने की क्षमता को बाधित या सीमित करती है।"

**इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का इंपेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडिकैप्ट** (ICIDH) 1979 के अनुसार - "व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान एवं पिछड़ापन हो जाता है उसे दिव्यांगता कहते हैं।"

**Dictionary.com** के अनुसार- दिव्यांगता एक शारीरिक एवं मानसिक विकलता है विशेषतः वह जो एक व्यक्ति को सामान्य जिंदगी जीने या अपनी जीविका कमाने से रोकती या बाधा उत्पन्न करती है।

इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं, कि विकलांगता या दिव्यांगता व्यक्ति के जीवन के सामान्य दिनचर्या को तथा उसकी जीविका को प्रभावित करती है।

इनके अलावा विभिन्न देशों (अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, रूस) आदि ने भी अपने अनुसार विकलांगता की परिभाषा दी है-

**जापान का डिसएबल पर्सन्स फंडामेंटल ला**ॅ के अनुसार- "ऐसे व्यक्ति जिनका शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक (विकास संबंधी कारणो समेत) दिव्यांगता के कारण व्यावसायिक जीवन काफी प्रतिबंधित हो या जिन्हें इसी वजह से लंबे वक्त तक व्यावसायिक जीवन में अधिक समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो।"

**कनाडा के कैनेडियन ह्यूमन राइट एक्ट** के अनुसार - "एक शारीरिक या मानसिक स्थिति जो स्थाई या पुनरावृत हो और इस स्तर तक हो कि व्यक्ति के सामान्य जीवन की जरूरी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करें।"

**चीन** एक दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करता है, कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से असामान्य हो या उसकी शारीरिक संरचना अंग विशेष या उसके कार्य की क्षमता में कमी या हानि से प्रभावित है और जो सामान्य तरीके से गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को पूरी तरह या आंशिक रूप से खो चुका है।"

**फ्रांस** ने विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर देने में बहुत उन्नति की है उसके अनुसार- "समाज में भागीदारी निभाने में कोई भी बाधा जो किसी ऐसी बड़ी, स्थाई स्थिति के कारण हो जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और संवेदिक क्षमताओं को प्रभावित करती हो, इसमें संज्ञानात्मक और मनोरोग संबंधी स्थितियों के साथ ही अक्षम कर रही पुरानी बीमारियां भी शामिल है।"

**रूस** विकलांगता को निम्न अनुसार परिभाषित करता है- "एक विकलांग व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य किसी स्थाई विकलता या अंगों की कार्यक्षमता में गड़बड़ी, बीमारी, दुर्घटना या चोट आदि के कारण बिगड़ा हुआ हो जिसके कारण उसकी कार्यक्षमता मे बाधा पड़ती हो और जिसके कारण उसे सामाजिक सुरक्षा देना आवश्यक हो जाता है।"

**उपरोक्त परिभाषाओं** के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विकसित देश में दिव्यांगता को मानव जीवन का हिस्सा माना गया है समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति भी प्रतिदिन के गतिविधियों में सामान्य रूप से हिस्सा ले सके। क्योंकि यहां लोगों का मानना है कि स्थाई या अस्थाई रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विकलांगता को कभी ना कभी महसूस करता है, इसलिए यहां पर विकलांगता या दिव्यांगता को एक सामान्य प्राकृतिक घटना के रूप में देखा जाता है। अर्थात दिव्यांगता एक सापेक्ष शब्द है- जिसका अर्थ अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकता है।

**2011 की जनगणना के अनुसार निष्कर्ष निम्नानुसार है: -**

भारत में 121 करोड़ की आबादी में से 2.68 करोड़ व्यक्ति 'दिव्यांग' हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 1.5 करोड़ और महिलाओं की संख्या 1.18 करोड़ है। जो कुल जनसंख्या का 2.21% है। वर्ष 2001-2011 के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और पुरुष दिव्यांग लोगों की संख्या में वृद्धि देखी गई।

- जिसमें 19% लोगों को सुनने की अक्षमता।
- 19% लोगों को दृष्टि संबंधी दिव्यांगता।
- 20% गतिमान दिव्यांग।
- 7% लोगों को वाक् क्षीणता।
- 3% लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित ।
- 18% लोग अन्य प्रकार की अक्षमताओ से ग्रसित।
- 6% मानसिक मंदता से प्रभावित।
- 8% लोग बहु दिव्यांगता से प्रभावित।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 1.86 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 0.81 दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं।

**दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 श्रेणीबद्ध -**

भारत सरकार ने विभिन्न श्रेणी की दिव्यांगता में से कुछ दिव्यांगता को अधिकारी रूप से सूचीबद्ध किया, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों की सरकारी सहायता की जा सके।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा 21 प्रकार के विकलांगताओं की सूची जागरूकता के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्रदान की गई है।

जबकि अधिनियम में पूर्व में **सात प्रकार** की दिव्यांगता ही शामिल थी, लेकिन अब उसके स्थान पर **21** प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है -

1. **दृष्टिहीनता** - एक व्यक्ति के लिए दृष्टिहीनता वह स्थित है, जिसमें उसे अंधेरे और रोशनी में फर्क नहीं पता चलता है।
2. **निम्न दृष्टि /अल्प दृष्टि**- व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच हो।
3. **कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति**- कुष्ठ रोग अथवा हैनसेन रोग ( एच.डी) एक संक्रामक बीमारी है जो किसी को भी बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक कभी भी हो सकती

है। कुष्ठ रोग Mycobacterium leprae नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तांत्रिक, श्वसन पथ की ऊपरी श्लेष्मिक सतह तथा आँखों को प्रभावित करती है।

4. **श्रवण बाधित**- इस श्रेणी के अंतर्गत उन लोगों को रखा जाता है जो सुनने में अक्षम हो या ऊंचा सुनते हो।
5. **चलन-संबंधी विकलांगता** (लोकोमोटर विकलांगता) - पैरों की विकलांगता याने एक स्थान से दूसरे स्थान आने-जाने में कठिनाई यो का होना, तथा इस श्रेणी में जोड़ो, हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी भी विकलांगता आ जाती है।
6. **बौनापन**- इसमें व्यक्ति की लंबाई सामान्य से कम होती है यह एक शारीरिक विकास संबंधी विकार है।
7. **बौद्धिक विकलांगता**- यह एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक विकास (जैसे- नई चीज सीखना, तर्क-वितर्क, समस्या का समाधान ढूंढना और सामाजिक व्यवहार) दोनों में काफी कमी होती है।
8. **मानसिक रोग**- मानसिक विकार या रोग व्यक्ति की मनोदशा, सोच, धारणा, स्मृति या अभिविन्यास का एक बड़ा विकार है, जो व्यवहार करने निर्णय लेने तथा वास्तविकता को पहचानने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित या कठिनाई पैदा करता है।
9. **ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर**- ए.एस.डी. (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर) एक तंत्रिका संबंधी विकासात्मक विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलचाल और व्यवहार प्रभावित होता है। सामान्यत यह लक्षण शुरुआती 2 साल में ही उभरते है। व्यक्ति के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को ऑटिज्म प्रभावित करता है।
10. **सेरिब्रल पाल्सी**- सेरिब्रल पाल्सी (सी.पी.) यह एक ऐसी शारीरिक स्थिति है, जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों का सन्तुलन बिगड़ जाता है। यह एक प्रगतिशील विकार नहीं है, वर्तमान में पर इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है।
11. **मस्कुलर डिस्ट्रॉफी**- मांसपेशियों से जुड़ी अनुवांशिक विकार जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एम.डी.) जिसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी और उसका क्षय होता है।

12. **क्रॉनिक न्यूरोलॉजिक स्थितियां या** पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियां- इसके अंतर्गत अल्जाइमर रोग और डीमेनशिया, पार्किंसंन रोग, डिस्टोनिया, ए. एल. एस. (लू गेहिग रोग), हांटिंग्टन रोग, तांत्रिकपेशीय बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी, स्ट्रोक्स आदि जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अक्षम करने वाली बीमारियां हैं।
13. **स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी**- यह विकलांगता उत्पन्न करने की एक ऐसी स्थिति का समूह है, जिसमें व्यक्ति को बोलने, सुनने, लिखने, सोचने या गणितीय अंक करने की क्षमता को बाधित करती है।
14. **मल्टीपल स्क्लेरोसिस**- शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और मेरुदंड शामिल है उसे क्षति पहुंचाने लगती है। समय के साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस नर्व को पूरी तरह नष्ट कर देती है।
15. **वाणी और भाषा**- संबंधी विकलांगता- यह लेरिंजेक्टाॅमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न एक स्थाई विकलांगता है जिसमें बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
16. **थैलेसीमिया**-इसमें हीमोग्लोबिन की कमी शरीर में होती है या या फिर असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन होने लगता है। यह एक अनुवांशिक रक्त विकार विकलांगता है।
17. **हीमोफीलिया**- हीमोफीलिया एक रक्त विकार है इसमें रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति के शरीर से रक्त का बहाव रुकता नहीं है और यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है।
18. **सिकल सेल रोग**- रक्त विकारों का एक ऐसा समूह जिसमें रक्त कोशिकाएं सिकल (दरांती) असामान्य आकार की हो जाती है और खत्म होने लगती हैं। यह एक अनुवांशिक बीमारी है।
19. **बहु विकलांगता** (बहरापन- दृष्टिहीनता सहित) - एक से अधिक विकलांगता का एक साथ होना जैसे मोटर और संवेदी दोनों तरह की विकलांगता एक साथ हो सकती हैं।
20. **तेजाब हमले से प्रभावित व्यक्ति**- ऐसे व्यक्ति जो तेजाब या ऐसे ही किसी और दूसरे पदार्थ के हमले के कारण विकृत हो जाते हैं।

21. **पार्किंसंन रोग**- यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार है जो व्यक्ति की चलन गति को प्रभावित करता है इसमें शरीर में जकड़न और कंपकंपी होती है यह एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है, फिलहाल इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं सामने आया है।

**दिव्यांगो की समस्याएं -**

दिव्यांगता का प्रभाव व्यक्ति और उसके पूरे परिवार की मनोदशा पर पड़ता है। क्योंकि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे अपने जीवन में तनाव, कुंठा और संघर्षों का अधिक सामना करते हैं जिससे उनमें व्यवहारगत विकृतियां विकसित होने की अधिक संभावना होती है, तथा कार्य करने की क्षमताओं की स्थितियां दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक-संवेगात्मक समस्याओं को ज्यादा बढ़ाती है, जिसके कारण उन में चिंता एवं खिन्नता के भाव उभरने लगते हैं।

जो उन्हें अपने वातावरण में समायोजित होने नहीं देती है। यदि किसी कारणवश किसी बच्चे में शारीरिक अपंगता एक से ज्यादा प्रकार की होती है तो उस बालक का प्रभावी रूप से सामाजिक कार्य करने की क्षमता अधिक घटती जाती है।

सामान्य बच्चों की अपेक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चो की प्रतिदिन की जिंदगी से निपटने और उसके अनुकूल होने की क्षमता कम हो सकती है और एक दिव्यांग बच्चा लगातार दूसरों के लिए सामान्य कार्य करने की कोशिश में पीड़ित रहता है।

दिव्यांग व्यक्ति को अगर उचित वातावरण न मिले तो उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आने लगती है जैसे-

**शैक्षिक समस्याएं**-

शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चों का अधिकार है चाहे वह सामान्य बच्चा हो या दिव्यांग बच्चा सभी को अगर शिक्षा का समान अवसर एवं उचित वातावरण नहीं मिलता है तो उसका विकास रुक जाता है और वह जीवन में पिछड़ कर रह जाता है।

**आर्थिक समस्याएं** -

दिव्यांग व्यक्तियों को कम शिक्षा, रोजगार के निम्नस्तर, खराब स्वास्थ्य तथा उच्च गरीबी दर जैसे विपरित सामाजिक- आर्थिक नतीजो का आभास होने की बहुत संभावना है। इसलिए दिव्यांग बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो वह अपने जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं बन पाते है जिससे उसके अंदर में कुंठा और चिंता बढ़ने लगती है।

**पारिवारिक समस्याएं** -

पारिवारिक मौहाल में अगर दिव्यांग बच्चों को प्यार एवं अपनापन प्राप्त नहीं होता है तो उनके विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। इसीलिए माता-पिता को अपने प्रत्येक बच्चों में समान प्यार और अपनापन बांटना चाहिए ताकि सभी का विकास एक समान हो सके।

**सामाजिक समस्याएं** -

दिव्यांग व्यक्ति भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सामाजिक रूप से सभी को समानता का अधिकार है, दिव्यांग जनों की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में भारत को गिना जाता है। इसके बावजूद दिव्यांगों को गरीबी और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को दिव्यांग लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देनी चाहिए।

**राजनीतिक समस्याएं -**

दिव्यांगजन की राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की जाए तो उनकी राजनीति भागीदारी और वर्चस्व में कमी नजर आती है। राजनीति के क्षेत्र में अगर दिव्यांगजन आना भी चाहता है तो उन्हें सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे उनका मनोबल गिर जाता है। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका में कुछ ही दिव्यांग राजनेता देखने को मिलते हैं। राजनीति दलों द्वारा सभी जन समूह का समुच्चयन किया जाता है, परंतु किसी भी राजनीति दल की वरीयता की श्रेणी में दिव्यांगजन समूह नहीं है।

**वैवाहिक समस्याएं** -

दिव्यांग लोगों में सामान्य लोगों की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में वर वधु के चयन मे बहुत मुश्किलें आती है, क्योंकि एक जैसे दिव्यांग वर और वधू के विवाह के लिए परिवार तैयार न होने के कारण यह समस्या बनी रहती है जिससे कई दिव्यांग अविवाहित ही रह जाते हैं।

**धार्मिक समस्याएं** -

धार्मिक स्थलों पर रूढ़िवादी परंपराओं और सोच की वजह से दिव्यांग व्यक्तियों को भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है जबकि ईश्वर का घर सभी के लिए है। मानवता को प्राथमिकता देते हुए सभी के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है।

**स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं** -

उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से दिव्यांग व्यक्ति का जीवन कुंठाओं से भर जाता है जिसकी वजह से वह अपने जीवन में अपने आप को बोझ समझने लगता है। इसलिए परिवार और समाज का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी बनती है कि दिव्यांग व्यक्ति को उचित चिकित्सा उपलब्ध करवाये जिससे की वे भी अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके।

**मानसिक समस्याएं** -

मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को प्यार और सहानुभूति के साथ उचित वातावरण तथा चिकित्सा की आवश्यकता होती है जिससे उसका विकास सही ढंग से हो सके।

**कार्यस्थल पर समस्याएं**-

दिव्यांग व्यक्तियो को कई बार अपने कार्य स्थलों पर अपने साथियों के हेय दृष्टि का सामना करना पड़ता है जिससे उनका मन तनाव ग्रस्त होने लगता है जिसका असर उनके कार्य पर भी पड़ता है।

**अपराधिक समस्याएं-**

दिव्यांग व्यक्ति को अगर उचित  वातावरण और सही शिक्षा न प्राप्त हो तो उनमें अपराधिक गुण विकसित होने लगते हैं, गलत संगति के लोगों के साथ मिलकर वह अपने जीवन को गलत दिशा में विकसित करने लगते हैं।

**व्यावसायिक समस्याएं-**

समाज में बनाए गए रोजगार एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने नई स्कीम उपलब्ध तो कराई है पर उनकी पहुंच से अभी भी यह सब चीज दूर हैं वे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हुए भी नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए हम सभी मानव को दिव्यांग व्यक्तियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी जानकारी प्रदान करना जिम्मेदारी बनती है।

**निष्कर्ष-**

समाज को विकलांग व्यक्तियों को ना तो किसी दिव्यता के ऊंचाई पर रखने की जरूरत है और ना ही उन्हें हीनभावना की दृष्टि से देखने की आवश्कता है, समाज के रूप में हमें यहां प्रयास एवं समझने की जरूरत है कि दिव्यांगता कभी भी किसी के भी जीवन का हिस्सा बन सकती है हमें बस हमेशा यह कोशिश करना चाहिए, कि किसी भी मानव पर उसकी विकलांगता या दिव्यांगता का कुप्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए।

विकलांग व्यक्तियों को अपने समुदाय में कई सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विविध प्रकार की दिव्यांगता के विभिन्न श्रेणी वाले व्यक्तियो के जीवन की उत्कृष्टता में निवारण करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है।  आज प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि प्रत्येक दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति भी एक सामान्य मानव की तरह अपने जीवन को सरलता, सहजता और सुकून से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इसके लिए विकलांग व्यक्तियों के प्रति दया और सहानुभूति ना जताते हुए उनको जीवनपथ पर सही मार्गदर्शन करके, उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमेशा उनमे आत्मबल, आत्मशक्ति और विश्वास पैदा करने की आवश्यकता

है, जिससे वे अपने जीवन में सोचे हुए लक्ष्य तक आसानी तक पहुंच सके और अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से समाज में स्थापित कर अपने परिवार समाज और देश के कल्याण में भागीदारी कर सके ।

**संदर्भ ग्रंथ सूची -**


1. बेस्ट, रानी आभा (कु.) डॉ., सक्सेना एस. (कु.) डॉ. (2007-08), "*विशिष्ट बालक*"; आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन, अष्टम संस्करण.
2. शर्मा, ए.आर. डॉ. (2007), "*विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*" मेरठ, प्रकाशक आर. लाल बुक डिपो, प्रथम संस्करण.
3. सिंह, कुमार अरुण(2010). "*शिक्षा मनोविज्ञान*", नई दिल्ली, प्रकाशक भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, तृतीय संस्करण.
4. Sharma, Aarti (January-Dec.2018). "*Vishays Avashyakta wale Bachoo ko Shiksha ki Mukhaya Dhara say Jody Hatto Prayas*", An International Journal of Education & Humanities, (Jan. - Dec. 2018); 7(01): pp. 255- 257.
5. Sourabh, S. Dr. "Bharat may Divyangjan ka Rajnitik Sashaktikaran: Ek Chunoti" International Journal of Political Science and Governance, (2019); 1(2): pp.21-25 www.journalofpoliticalscience.com
6. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-editorials/persons-with-disabilities
7. https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/disability
8. https://viklangta.com/divyangjan-meaning-hindi
9. https://hi.quora.com
10. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Disability
11. https://viklangta.com/viklangta-kya-hai-paribhasha-arth-hindi/
12. https://www.ccdisabilities.nic.in/hi/resources/disabilitiey-india
13. https://www.ifc.org/en/what-we-do/sector-expertise/gender/economic-inclusion/persons-with-disabilities
14. https://viklangta.com/viklangta-aur-pariwaar-pardeep-singh
15. https://www.jagran.com/news/national-persons-with-disabilities-are-still-facing-social-discrimination-23000829.html